**संख्या-91/2020/2318/छप्पन-2020-18/2002**

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे मुरादाबाद एयरपोर्ट पर 11 के0वी0 डेडीकेटेड पावर सप्लाई प्रदान किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-273/आर0सी0एस0-2020-एम-2/2018 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में चयनित मुरादाबाद एयरपोर्ट पर 11 के0वी0 डेडीकेटेड पावर सप्लाई प्रदान किए जाने हेतु आगणन लागत रू0 1,05,99,921/- (रूपया एक करोड़ पाँच लाख निन्यानबे हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) के प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित मुरादाबाद हवाईपट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु 11 के0वी0 डेडीकेटेड पावर सप्लाई प्रदान किए जाने के लिए लागत रू0 1,0599,921/- (रूपया एक करोड़ पाँच लाख निन्यानबे हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों, प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे के प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, मुरादाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7-1308 /दस-2020 दिनांक 09 दिसम्बर,, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

**<u>पृ0सं0-91/2020/2318(1)/छप्पन-2020-तद् दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
(4) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in